क्या आप जानती हैं?

अधिकारों की बात आती है तो हमें सब भूल ही जाते हैं–सब क्यों हम खुद ही कब अपने हक और अधिकारों के प्रति जागरूक रहती हैं। कानून हमें अधिकार देता है–लेकिन उनकी जानकारी और सही उपयोग तो हमारे ही हाथ में है न!

- 18 साल की उमर के बाद आप बालिग हो और अपनी ज़िन्दगी के सभी फैसले लेने की हकदार। कानूनी तौर पर कोई भी आपको आपकी इच्छा के खिलाफ़ कुछ भी करने पर मजबूर नहीं कर सकता—आपके मां-बाप भी नहीं। आपको बन्द करके रखने, आगे पढ़ने से रोकने या जबर्दस्ती शादी करने को मजबूर करने पर आप इसका विरोध कर सकती हो और कोर्ट में इसके लिए लड़ाई भी कर सकती हो।
- अगर आपके हालात मजबूर करते हैं तो आप अलग रहने का फैसला ले सकती हो। कुछ बड़े शहरों में औरतों के लिए सुरक्षित रहने की जगह हैं।
- अपने पिता की ज़िन्दगी में कमाई जायदाद में हिन्दू कानून के तहत लड़की और लड़के का बराबर हक़ है। पुश्तैनी जायदाद में लड़की को बराबरी का हक़ अभी भी नहीं है।
- ये कानूनी ज़रूरत नहीं कि आप शादी के बाद अपना नाम बदलें। आप चाहो तो अपना कुंवारेपन का नाम शादी के बाद भी इस्तेमाल कर सकती हो।
- अपने वेतन/अपनी कमाई पर आपका पूरा हक है। आप अपनी इच्छा के अनुसार उसका इस्तेमाल कर सकती हो।
- आप अपने अकेले नाम पर बैंक में खाता खोल सकती हो। बिना पढ़ी-लिखी बहन भी अंगूठा लगाकर अपना खाता खोल सकती हैं।

- आपको अपनी शादी के समय और बाद में आपके मां-बाप और ससुराल से जो कुछ भी मिला है वो आपका स्त्री-धन है जिस पर आपका पूरा अधिकार है।
- पत्नी पति के पास जो भी जायदाद है, जैसे खेती की ज़मीन या घर वगैरह वो पत्नी के या दोनों के संयुक्त नाम पर भी रजिस्टर हो सकती है।
- राशन कार्ड पत्नी या पति किसी के भी नाम पर बन सकता है। पति के नाम पर राशन कार्ड बनाना ज़रूरी नहीं।
- स्कूल में बच्चे का दाखिला कराते वक्त मां अपना नाम अभिभावक के रूप में दे सकती है।
- अगर आपको अनचाहा गर्भ ठहर जाये तो आप किसी भी सरकारी अस्पताल में गर्भपात करवा सकती हो। 1971 में बने इस कानून के तहत कोई भी ग़ैर शादी-शुदा या शादी-शुदा औरत गर्भपात करवा सकती है। गर्भपात करवाना औरत का निजी फ़ैसला है जिसके लिए उसे किसी और की (पति की भी) इजाज़त लेने की ज़रूरत नहीं है।
- अकेली, बेशादी-शुदा या तलाकशुदा औरत बच्ची/बच्चा गोद ले सकती है।
- अगर किन्हीं वजहों से आपके और आपके पति के बीच कोई आपसी मतभेद या लड़ाई चल रही हो तो भी आपका पति आपको घर से बाहर नहीं निकाल सकता। शादी के बाद आपका भी उस घर में उतना ही हक है जितना आपके पति का।
- मां-बाप का तलाक हो जाने के बाद भी

बच्चों का अपनी पिता की जायदाद में हक़ खत्म नहीं होता।

- वैसे कानून यह कहता है कि बच्चों का असली वारिस पिता होता है, मां केवल उनकी देखभाल के लिए है, पर अगर पिता बच्चों को नहीं देख रहा है तो मां कोर्ट में केस करके अपने बच्चों की मांग कर सकती है।
- कई बार औरत को आदमी छोड़ देता है, परेशान करता है और खर्चा नहीं देता जिससे वो और उसके नाबालिग बच्चे एक बेसहारा और मोहताज ज़िन्दगी जीने पर मजबूर हो जाते हैं। इन हालातों में कानून की तरफ से धारा 125 (आई.पी.सी.) के तहत आपको अपने पति से गुजारा खर्चा पाने का हक है। ज्यादा से ज्यादा 500 रुपये की तुरन्त सहायता देने का भी प्रावधान है, पर कई बार कोर्ट से आर्डर होने के बाद भी आदमी खर्चा नहीं

देता है और औरत को परेशानी उठानी पड़ती है। सामूहिक दबाव डालकर एक बार में जितना मिल सके उतना पैसा ले लेना भी एक तरीका है जो आप इस्तेमाल कर सकती हैं।

- औरत को आदमी के बराबर मजदूरी बहुत कम जगहों पर मिलती है जबकि औरतों को आदमी के बराबर मेहनताना मिले इसके लिए 1976 में 'समान वेतन कानून' पास किया गया था। ये कानून खेत मज़दूरी और दूसरे सभी उद्योगों पर लागू होता है।
- इस कानून के तहत कुछ उद्योगों में जैसे खदानों, फैक्ट्रियों वगैरह में औरत का रातपाली में काम करना मना है, पर इसके अलावा किसी भी तरह के काम देने में मालिक आपके साथ औरत होने के नाते भेदभाव नहीं कर सकता।
- आपके साथ हुए किसी भी सैक्स सम्बन्धी अपराधों को आपको चुप रह कर सहने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके साथ कोई छेड़खानी करता है, शरीर के साथ खिलवाड़ या अनाचार करता है या असभ्य तरीके से शरीर पर आक्रमण करता है, यानि कोई भी आपकी मर्जी के खिलाफ़ बर्ताव करता है तो आप इसकी रिपोर्ट पुलिस में लिखवा सकती हो जिसके आधार पर अभियुक्त को गिरफ़्तार करके कोर्ट में पेश करने की ज़िम्मेदारी पुलिस की है।
- आपके पति को छोड़कर कोई भी आदमी (परिवार के सदस्य भी) अगर आपकी मर्ज़ी के खिलाफ़ और सम्मति के बग़ैर सम्भोग की कोशिश करता है तो उसे बलात्कार माना जायेगा जिसके खिलाफ़ आप धारा 375 के तहत जुर्म की शिकायत पुलिस थाने में कर सकती हो। रिपोर्ट का तुरन्त लिखाना और जल्दी से जल्दी मेडिकल जांच कराना अपराध को साबित करने के लिए ज़रूरी कार्यवाही है।
- राजस्थान सरकार द्वारा 1987 में सती विरोधी अधिनियम लागू करने के बाद केन्द्रीय सरकार ने भी सती रोकथाम अधिनियम 1987 पास किया है। इस अधिनियम के महत सती बनाने में भागीदारी लेने वालों को हत्या के अपराध में गिरफ्तार कर कड़ी सजा का प्रावधान है। सती को महिमामंडित करने के प्रयासों पर सात साल की सजा और 30,000 रुपये का हर्ज़ाना जैसी सजा के द्वारा अंकुश लगाने की कोशिश की है।

समाज की तरक्की का आधार जब मिलें हमें हमारे अधिकार

जन्मपूर्व जांच पर तकनीकी नियंत्रण, महाराष्ट्र अधिनियम 1988 के तहत महाराष्ट्र सरकार ने जन्म से पहले कोख में बच्चे के लिंग को पता कर लेने की जो वैज्ञानिक तकनीकी सुविधा है, उसके इस्तेमाल के बारे में कुछ नियम बनाकर इसके गलत उपयोग, पर कुछ हद तक रोक लगाने की कोशिश की है। कानूनन इस तकनीक का इस्तेमाल कुछ खास परिस्थितियों में ही किया जा सकता है। अधिनियम का खास मकसद है—स्त्री शिशु की हत्या के बढ़ते सिलसिले पर रोक लगाना।

ये अधिनियम केवल महाराष्ट्र सरकार ने पास किया है। अब पूरे देश के महिला संगठनों की मांग है कि इस तरह का एक राष्ट्रीय अधिनियम पास किया जाये। महिलाओं के समूहों ने कुछ जरूरी सुझावों के साथ इस अधिनियम को तुरन्त पास कराने के लिए एक हस्ताक्षर अभियान चला रखा है जिसमें अगर आप जुड़ना चाहें तो 'नारी केन्द्र' बम्बई के पते पर सम्पर्क करें। □

104 बी, सनराइज़ अपार्टमेंट,
नेहरू रोड, वकोला सांताक्रुज (ई),
मुम्बई-400055, टेलीफोन-6140403

मेरा चेहरा
मेरा रंग
मेरे नैन-नक्श
मेरे हैं
कुदरत की देन हैं
मेरी पहचान हैं।